भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में विच्छेदन हॉल तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं0 एबी.14017/61/2008-स्थापना(आरआर) के अनुपालन में,सफदरजंग अस्पताल में विच्छेदन हॉल तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

(जी. पी. सामंता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: 2018

<u>अधिसूचना</u>

सा.का.नि. . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विच्छेदन हॉल तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (विच्छेदन हॉल तकनीशियन) भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन-** इन नियमों की अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को, जिन्हें इन नियमों के आरंभ से पूर्व सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा और उनके द्वारा उस पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा की गणना परिवीक्षा, संपुष्टि और पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श और कारणों को लेखबद्ध कर आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विच्छेदन हॉल तकनीशियन	06* (छह) (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.)	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक की छूट)। टिप्पण 1: आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख़- भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख़ होगी न कि वह नियत तारीख़ जो असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 10+2 एवं प्रयोगशाला में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल:- (क) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष (ख) अवर सचिव, अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य (ग) उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा.सं. 12018/19/2016]

(जी.ए. रघुवंशी)
अवर सचिव, भारत सरकार